हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

द्वितीय सत्र

बुधवार, 4 अप्रैल, 2018/14 चैत्र, 1940(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

तारांकित:

(i) स्थगित (ii) दिन के लिए	पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे:**

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम, 2005 के नियम 4 व 5 के अन्तर्गत प्ररूप-1, नियम 6 के अन्तर्गत प्रारूप 2 व 3 तथा नियम 6(1) के अन्तर्गत प्रारूप -4 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(2) **श्री किशन कपूर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (तोल और माप संगठन) हस्त सहायक, वर्ग-III(अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्या:एफ.डी.एस.-ए(3)-11/2002 दिनांक 20.03.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 26.03.2018 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(3) **डॉ0 राम लाल मारकण्डा, कृषि मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, उप-मण्डलीय भू-संरक्षण अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्या:एग्र.ए.-ए(3)-5/2005 पार्ट-I दिनांक 13.03.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.03.2018 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश जन जातीय विकास विभाग, परिचर, वर्ग-IV(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:टी.बी.डी.(बी)1-1/99-लूज़ दिनांक 07.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.03.2018 को प्रकाशित ।

3. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

(1) **श्री हर्षवर्धन चौहान**, "to call the attention of the **Chief Minister** to the situation arising out of Closing of Khodri Majri Killair Road at Kullan bridge on Himachal side by power department of Uttrakhand government thereby causing hardship to the people of Himachal without the approval of H.P. Government in District Sirmaur".

(2) **श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु**, दिनांक 19 फरवरी, 2018 को अमर उजाला में प्रकाशित शीर्षक **"स्कूली बच्चों से जातीय भेदभाव के मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश"**, से उत्पन्न स्थिति की ओर **शिक्षा मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(3) **श्री रमेश चंद ध्वाला**, दिनांक 2 अप्रैल, 2018 को पंजाब केसरी में प्रकाशित शीर्षक " **सराय में चल रहा ज्वालामुखी अस्पताल**", से उत्पन्न स्थिति की ओर **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(4) **श्री राकेश पठानिया**, "to call the attention of the **Health & Family Welfare Minister** to the situation arising out of precarious condition of Dr. Rajinder Prasad Medical College, Tanda".

4. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन:

कार्य-सलाहकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया जाएगा तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया जाएगा ।

5. विधायी कार्य :

(I) सरकारी विधेयकों की पुर:स्थापना

(i) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा में

हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 7)	बहुमत प्राप्त दल के मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक के वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाओं का उपबन्ध करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए । वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(ii) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम,

हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 8)	2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए । वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(iii) श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य में सहबद्धता, अध्यापन और उच्चतर शिक्षा पद्धति में उचित और व्यवस्थित शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए "सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश" नामक क्लस्टर विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018

(2018 का विधेयक संख्यांक 6)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(II) सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्यांक 18) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2018

(2018 का विधेयक संख्यांक 4)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(ii) श्रीमती सरवीन चौधरी, शहरी विकास मन्त्री, प्रस्ताव करेंगी कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2018

(2018 का विधेयक संख्यांक 3)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(iii) श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि राज्य में, औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने, उनमें उत्पादन प्रारम्भ करने और औद्योगिक विकास के संवर्धन के लिए समयबद्ध मंजूरियों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्यांक 5)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

6. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख :

(1) **श्री नरेन्द्र ठाकुर (38-हमीरपुर),** हमीरपुर शहर में बढ़ते यातायात से स्थानीय जनता को हो रही कठिनाईयों के मद्देनज़र जनहित में पार्किंग का निर्माण करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(2) **श्री सुख राम (58-पांवटा साहिब),** पावंटा साहिब विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च मार्ग-72 की दयनीय स्थिति बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(3) **श्री सुख राम (58-पांवटा साहिब),** पावंटा साहिब विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत 'Giri Irrigation Left Bank Canal' के क्षतिग्रस्त Aqueduct की मरम्मत बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(4) **श्री अरूण कुमार (15-नगरोटा),** नगरोटा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत 'Advance Technical Institute' को जनहित में प्रारम्भ करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

7. नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा:

(1) **श्री जवाहर ठाकुर**, "दिनांक 27 मार्च, 2018 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 232 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे ।

(2) **श्री सुन्दर सिंह ठाकुर**, "दिनांक 2 अप्रैल, 2018 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 412 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे ।

शिमला-171 004 सुन्दर सिंह वर्मा,
दिनांक: 3 अप्रैल, 2018 सचिव ।

*****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)
(विधेयक पर स्वीकृत संशोधन भी प्रस्तुत किए जाएंगे)

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

द्वितीय सत्र

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 4) जोकि दिनांक 04 अप्रैल, 2018 हेतु विचार-विमर्श एवं पारण के लिए निर्धारित है पर स्वीकृत संशोधन की सूची:-

क्र0	सदस्य का नाम	पृष्ठ	खण्ड	उप-खण्ड	पंक्तियां	प्रस्तावित संशोधन
1.		2.	3.	4.	5.	6.
1.	श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु	7	9	(छ)	17	"पन्द्रह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर शब्द **"पच्चीस प्रतिशत"** रखे जाए।
Sr. No.	**Name of Member**	**Page**	**Clause**	**Sub-clause**	**Lines**	**Proposed Amendment**
1.		2.	3.	4.	5.	6.
1.	**Shri Sukhvinder Singh Sukhu**	6	9	(g)	16	for the words "fifteen percent" the words **"twenty five percent"** shall be substituted.

शिमला-171004
दिनांक: 03 अप्रैल, 2018

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव।

****.